mail urgent

(40)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

क्रमांक/रसद/वितरण/2017/2964 दिनांकः 12/2/18

उप आवंटन आदेश

श्रीमान उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के आवंटन आदेश क्रमांक एफ. 13 (1) खा.वि/आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत (अन्त्योदय परिवारों सहित) लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण हेतु माह मार्च 2018 के लिए 6211 मे.टन गेहूँ का आवंटन किया गया हैं। जिसका विभाग द्वारा जारी ऑनलाईन सूचियों के आधार पर निम्नानुसार उप आवंटन आदेश जारी किये जाता हैं :–

माह मार्च 2018 हेतु

(मात्रा मे.टन में)

क्र. सं.	नाम थोक विक्रेता	क्षेत्र	आवंटित गेंहू
1	जालोर स.उप.हो.भ.लि. जालोर	नगर परिषद/पं.स. जालोर	608
2	जालोर क्र.वि.स.स.जालोर	सायला	858
3	आहोर क्र.वि.स.स. आहोर	आहोर	725
4	भीनमाल क्र.वि.स.स. भीनमाल	न.पा./पं.स.भीनमाल/जसवंतपुरा	1491
5	रानीवाडा क्र.वि.स.स. रानीवाडा	रानीवाडा	657
6	रामदेव क्र.वि.स.स. सांचोर	न.पा./पं.स. सांचोर/चितलवाना	1872
	योग :–		**6211**

योजनान्तर्गत निर्देश :–

1. आवंटित गेहूँ की भारतीय खाद्य निगम की केन्द्रीय निर्गम दर 200/– रू. प्रति क्वि. निर्धारित है।
2. थोक विक्रेता द्वारा आवंटित गेहूँ का उठाव आवंटन माह से पूर्व माह की अन्तिम तिथि तक किया जाना है। अतः आवंटन अनुसार राशि जरिये आरटीजीएस भारतीय खाद्य निगम में जमा कराते हुए एफपीएस डीलर तक गेहूँ पहुंचाना सुनिश्चित करेगे।
3. थोक विक्रेताओ द्वारा उचित मूल्य दुकानो को गेहूँ की आपूर्ति डोर–टू–डोर प्रणाली के तहत की जावेगी अर्थात प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के विक्रय स्थल पर गेहूँ पहुंचाने की थोक विक्रेता की जिम्मेदारी होगी।
4. थोक विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार तक गेहूँ पहुंचाने की प्राप्ति रसीद/चालान की 3 प्रति तैयार करेगें। एक प्रति उचित मूल्य दुकानदार को उपलब्ध करवायेगे तथा एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी व एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगें।
5. उचित मूल्य दुकानो पर खाद्यान्न की पहुंच प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति जालोर एंव सम्बन्धित क्षेत्र के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे कि कोई भी उचित मूल्य दुकानदार माह में गेंहू प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे।
6. लाभार्थी राशनकार्डो पर (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारो को छोडकर) **"खाद्य सुरक्षा लाभार्थी परिवार"** की मोहर अंकित करायी जावेगी।
7. थोक विक्रेता द्वारा उचित मूल्य दुकानदारो से राशि जमा कराने से पूर्व उनके पास योजनावार उपलब्ध गेहूँ के अवशेष स्टॉक की सूचना ली जावेगी। तथा उसके पश्चात उनको जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी संलग्न रोस्टर सूची में अंकित मात्रा से दुकानदार के पास योजनावार अवशेष स्टॉक को घटाते हुए गेहूँ दिया जावेगा। क्योकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चयनित लाभार्थियो को कानूनन गेहूँ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अतः उचित मूल्य दुकानो को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लाभार्थी गेहूँ लेने से वंचित नहीं रहे।

8. थोक विक्रेता द्वारा उचित मूल्य दुकानो को दी गई मात्रा की मासिक रिर्टन उसको उपलब्ध करायी गई आवटन सूची रोस्टर में ही भरकर वितरण माह की 05 तारीख तक सम्बन्धित उपखण्ड/इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी ताकि उसका दुकानदारवार मिलान कर गेहूं की प्रभावी मॉनीटरिंग की जा सके।

9. थोक विक्रेता परिवहन व समानीकरण के लेखे वितरण माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे

10. लाभार्थियों को गेहूं का वितरण पीओएस मशीन से एंव राशनकार्ड में इन्द्राज किया जावेगा। अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 2/–रू. प्रतिकिलो तथा खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अन्य समस्त लाभार्थियों (बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों सहित) को 05 किलोग्राम प्रति युनिट प्रतिमाह 2/–रू. प्रतिकिलो की दर से राशनकार्ड में दर्ज यूनिट से गेहूं वितरण किया जावेगा।

11. उचित मूल्य दुकानदारो द्वारा गेहूँ का वितरण उपभोक्ता पखवाडे के दौरान माह की 10 से 24 तारीख के बीच किया जावेगा।

12. उचित मूल्य दुकाने पूरे माह खुली रहेगी तथा कोई उपभोक्ता चालू माह में राशन सामग्री प्राप्त नहीं कर सका हैं तो उसे आगामी माह में दो माह की सामग्री एक साथ दी जावे।

13. प्रवर्तन स्टॉफ अपने कर्त्तव्यो की पूर्ण जबावदेही से पालना करे वे इस बात का पूर्ण ध्यान रखे कि उनके क्षेत्र में यदि किसी भी स्तर पर गेहूँ का डायवर्जन होता है तो अपराध के लिए सम्बन्धित डीलर के साथ–साथ वह भी उत्तरदायी होगा।

14. थोक विक्रेता यह सुनिश्चत करे कि उचित मूल्य दुकानदारों को आवंटित मात्रा से अधिक गेंहू किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जावें।

15. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आंवटित खाद्यान्न के उठाव व वितरण से संबधित सभी एजेन्सीज द्वारा आदेशों की कडाई से पालना की जावें। यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा अनियमितता करना पाया जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी
जालोर

क्रमांक/सम/2017/2965-3015
दिनांक 12/2/18

प्रतिलिपि–आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय सांसद महोदय, जालोर–सिरोही संसदीय क्षेत्र।
2. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचोर।
3. श्रीमान जिला प्रमुख महोदय, जालोर
4. श्रीमान खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
5. श्रीमान् महाप्रबन्धक, राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी, जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, जसवंतपुरा, बागोडा, रानीवाडा, चितलवाना, सांचोर।
8. आयुक्त नगर परिषद, जालोर/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका भीनमाल, सांचोर।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, जालोर
10. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति, जालोर
11. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जालोर को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करे।
12. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर को जनहित में प्रकाशनार्थ।
13. क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचोर, भण्डार जालोर को प्रेषित कर लेख है कि उठाव की अन्तिम तिथि नियत है। अतः नियत तिथि से पूर्व आवंटित गेहूँ का सम्पूर्ण उठाव सुनिश्चित करे।
14. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाडा, बागोडा, सांचोर, चितलवाना को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशो के अनुसार कार्यवाही एवं पालना सुनिश्चित करे।
15. अध्यक्ष, राशन विक्रेता संघ, जालोर

जिला रसद अधिकारी
जालोर

Prg (Ajeet G) Upload. 19/2/18